

अध्याय 7

अन्वेषण कार्यकलापों की मॉनीटरिंग

पिछले अध्ययों में ओआईएल के विभिन्न निष्पादन सूचकों की रिजर्व अभिवृद्धि, सर्वेक्षण प्रक्रिया, ड्रिलिंग प्रचालन और अन्वेषण ब्लॉकों के प्रबंधन में इसकी कुशलता के संबंध में चर्चा की गई है। यह देखा गया है कि विभिन्न पैरामीटर में कम-उपलब्धि को ओआईएल के स्वयं के बजट, अनुमान, मानव संसाधनों का प्रबंधन, आंतरिक नियंत्रण की कड़ाई और उच्चतर प्रबंधन द्वारा निरीक्षण से जोड़ा जा सकता है। इससे नियमपुस्तकों का अद्यतन भी शामिल है।

लेखापरीक्षा ने इसके हाइड्रोकार्बन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वित्तीय, प्रौद्योगिकीय और मानव संसाधनों के उपयोग, अनुसंधान एवं विकास के लिए बजटीय परिव्यय और संसाधन आबंटन के उपयोग के प्रति ओआईएल की प्रभावकारिता की समीक्षा की थी। लेखापरीक्षा ने ओआईएल की ठेका नियमपुस्तक की भी समीक्षा की थी। लेखापरीक्षा के ओआईएल की ठेका लेखापरीक्षा जांच के परिणामों की चर्चा निम्नानुसार है:-

7.1 बजटीय परिव्यय का उपयोग

7.1.1. योजना परिव्यय का कम उपयोग

वार्षिक बजट को भविष्य के प्रचालनों की योजना बनाने और प्राप्त परिणामों पर कार्योत्तर जांच करने के मद्देनजर तैयार किया जाता है। बजट की समय पर तैयारी और वास्तविक कार्यान्वयन में देखे गए अंतर का विश्लेषण आंतरिक नियंत्रण के उद्देश्य को पूरा करता है।

ओआईएल ने अपने प्रचालनात्मक कार्यकलापों के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपना वार्षिक बजट तैयार किया जिसके आधार पर इसने अपने नियोजित कार्यकलाप किए थे। लेखापरीक्षा ने 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान मुख्य प्रचालनात्मक कार्यकलापों के संबंध में बजट अनुमानों (बीई), संशोधित अनुमानों (आरई) और वास्तविक के बीच अंतर देखें।

2009-10 से 2013-14 की अवधि के लिए ओआईएल की वास्तविक और प्रत्यक्ष निष्पादन की तुलना में वास्तविक योजना परिव्यय अनुबंध I और VIII में दिए गए हैं।

लेखापरीक्षा ने देखा की :

- ओआईएल 2009-10 से 2012-13 तक सभी वर्षों में समस्त बीई का उपयोग करने में असमर्थ रहा। 2013-14 में सर्वेक्षण और अन्वेषण ड्रिलिंग के अंतर्गत किया गया व्यय बीई से कम रहा, यद्यपि संयुक्त उद्यम में निवेश बढ़ने के कारण समग्र व्यय

बीई से अधिक हो गया था। सभी पांच वर्षों के लिए, सर्वेक्षण एवं अन्वेषण ड्रिलिंग के प्रति वास्तविक व्यय बीई से 13 से 40 प्रतिशत तक कम रहा।

- इसी प्रकार, आरई के प्रति सर्वेक्षण और अन्वेषण ड्रिलिंग के संबंध में वास्तविक व्यय 2009-10 से 2013-14 तक सभी वर्षों में कम रहा जोकि 2 और 33 प्रतिशत के बीच था।
- प्रत्यक्ष लक्ष्य की प्राप्ति में गिरावट वित्तीय लक्ष्य की प्राप्ति में गिरावट के अनुरूप नहीं थी। सर्वेक्षण के मामले में प्रत्यक्ष लक्ष्य में गिरावट 55 प्रतिशत तक थी और अन्वेषण ड्रिलिंग के लिए यह 47 प्रतिशत तक थी।
- ओआईएल के समझौता जापन में, एमओपीएनजी ने 2009-10 से 2011-12 की अवधि के लिए योजना परिव्यय के अंतर्गत व्यय के लिए कोई महत्व नहीं दिया गया था। तथापि, योजना परिव्यय के अंतर्गत व्यय को 2012-13 में 1 प्रतिशत वेटेज, जिसे 2013-14 में 2 प्रतिशत वेटेज तक बढ़ा दिया गया था, के साथ समझौता जापन लक्ष्य निर्धारण हेतु पैरामीटर के रूप में माना गया था।

ओआईएल की बजटीय परिव्यय की वित्तीय प्राप्ति/उपयोग में लगातार गिरावट यह दर्शाती है कि इसने इसके व्यय की मॉनीटरिंग में चूक की और इसने समग्र रूप से अपने व्ययों का अधिक अनुमान लगाया था।

ओआईएल ने उत्तर दिया (अप्रैल 2015) कि संदर्भित अवधि के दौरान असम और अरुणाचल प्रदेश में योजना परिव्यय और वास्तविक व्यय मुख्यतः भाड़े पर लिए गए चार्टर रिस की कम संख्या में उपलब्धता, रिगों की खरीद में मुकद्दमेबाजी, भूमि अधिग्रहण समस्याओं, असम में निरंतर बंद और नाकाबंदी ने क्षेत्रीय प्रचालनों को विद्युटित कर दिया जिसमें ड्रिलिंग और क्षेत्रीय तैयारी कार्य शामिल हैं, के कारण नियोजित की अपेक्षा प्रत्यक्ष कार्यकलापों में कम उपलब्धि द्वारा प्रभावित हुआ था।

सर्वेक्षण और ड्रिलिंग असम में लंबे समय तक चली लगातार बारिश और भारी बाढ़ के कारण बाधा आई जिसके परिणामस्वरूप पूर्वोत्तर में सीमित वर्किंग विङ्गों, सांविधिक मंजूरिया/अनुमति प्राप्त करने में विलंब, विप्लब संभावित वन और नदी संगम क्षेत्र (सदिया, कर्बा अंगलोंग) और विकास कार्यों में बाधाएं सामने आईं।

ओआईएल ने आगे बताया कि इसके पास मासिक कार्य योजना के माध्यम से प्रत्यक्ष निष्पादन का निश्चित नियंत्रण तंत्र था जो अंततः वर्ष अंत के वास्तविक वित्तीय व्यय को दर्शाता है। ओआईएल ने बजट तैयार करने के लिए कारबार नियोजन और समेकन (बीपीसी) कार्यान्वित किया है और वास्तविक समय नियंत्रण के लिए एसएपी में निधि प्रबंधन (एफएम) मॉड्यूल सक्रिय किया गया है। यह प्रणाली चेतावनी पोप अप संदेश देती है जब व्यय बजटीय

राशि से अधिक हो जाता है और इस प्रकार नियंत्रण कार्यान्वित होता है। योजना परिव्यय को हाल ही के वर्षों में समझौता जापन प्रणाली में डायनेमिक कुशलता पेरामीटर के रूप में शुरू किया गया है और इसे आंतरिक रूप से एवं एमओपीएनजी के साथ तिमाही प्रगति रिपोर्ट बैठकों में मॉनीटर किया जाता है।

ओआईएल ने आगे बताया कि समझौता जापन में नए पैरामीटर का चयन (अर्थात् 2012-13 से योजना परिव्यय, 2015-16 के लिए फलेयर घटाने आदि) या किसी पैरामीटर का विलोप (अर्थात् विदेश में परिसम्पत्ति उत्पादन का अधिग्रहण, आरपी अनुपात आदि) प्राथमिकता के आधार पर और द्विगुणन आदि से बचने के लिए टास्क फोर्स का पूरा विशेष अधिकार है।

ओआईएल द्वारा दिए गए उपरोक्त सभी उत्तर पश्च दृष्टि पर आधारित है। तथापि, बजटिंग आय और व्यय के प्रत्याशित भावी स्तर पर लक्षित कार्य है। बजट और वास्तविक में लगातार अंतर ने आंतरिक नियंत्रण की कमी को दर्शाया।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस पर स्थायी समिति (2011-12, पंद्रहवीं लोकसभा) ने अपनी दसवीं रिपोर्ट में महसूस किया कि गिरावट के लिए दिए गए अधिकतर कारण, अर्थात् भूमि अधिग्रहण समस्या, संबंधित विभागों से विभिन्न मंजूरियां प्राप्त करने में विलंब, ड्रिलिंग रिंगों की अनुपलब्धता इत्यादि, परिहार्य थे और कम्पनी द्वारा उचित योजना के साथ इनका समय पर समाधान किया जा सकता था। इसलिए, समिति चाहती है कि ओआईएल वर्तमान वित्तीय वर्ष में निधियों के 100 प्रतिशत उपयोग के लिए सभी प्रयास करे और यह भी चाहती है कि डीजीएच यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभाविकता से मॉनीटरिंग करेगी कि ऑयल कम्पनियों द्वारा निधियों का कोई कम उपयोग नहीं किया गया है।

इसके अतिरिक्त, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस पर स्थायी समिति (2014-15, सोलहवीं लोकसभा) ने अपनी पहली रिपोर्ट में नोट किया कि पिछले वित्तीय वर्षों की तुलना में विभिन्न ऑयल पीएसयूज द्वारा परिव्यय का सीधा उपयोग नहीं किया गया था। कुछ पीएसयूज में बजट अनुमानों और अनुमानों के बीच काफी अंतर था और इसके अलावा यहां तक कि संशोधित बजट अनुमानों का भी कम उपयोग किया गया है। समिति ऑयल पीएसयूज, उनमें से कुछ नवरन्न है, से अपने बजटीय कार्य से अधिक गंभीर होने और अपने बजटीय नियोजन तंत्र का पुनर्निर्माण करने की अपेक्षा रखती है जिससे कि ऐसे त्रुटिपूर्ण अनुमानों से बचा जा सके। समिति ने यह भी सिफारिश की कि कठोर मॉनीटरिंग प्रणाली यह सुनिश्चित करने के लिए स्थापित की जानी चाहिए कि बजट प्रक्षेपणों को प्रभावी नियोजित कार्यकलाप के लिए अनुबद्ध समयसीमा में प्राप्त किया जाता है।

7.1.2 अनुसंधान एवं विकास के लिए बजटीय आबंटन

ओआईएल एक अपस्ट्रीम अन्वेषण और उत्पादन सार्वजनिक क्षेत्र संगठन है जो भारत और विदेश में पेट्रोलियम क्षेत्र में विभिन्न कार्यकलापों में लगा हुआ है। ओआईएल के विजन में

शामिल है “एक शिक्षण संगठन, विकास पहल, सर्वोच्च प्रणालियों के साथ नवप्रवर्तन और अभिलाषा”। इस प्रकार प्रौद्योगिकी इन्डक्शन एक नीतिगत लक्ष्य है और अन्वेषण के क्षेत्र में आवश्यक जरूरत है।

2013-14 को समाप्त पिछले पांच वर्षों के लिए अनुसंधान एवं विकास (आरएणडी) कार्यकलापों पर किए गए बजट अनुमानों (बीई) और संशोधित अनुमानों (आरई) की तुलना में वास्तविक व्यय को नीचे तालिका 7.1 में दिया गया है:

तालिका 7.1 - अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों पर बजट अनुमान, संशोधित अनुमान की तुलना में वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बी.ई.	आर.ई.	वास्तविक व्यय	अधिक/कमी (बी.ई. वास्तविक)
2009-10	29.23	30.00	22.49	(6.74)
2010-11	33.28	25.55	19.79	(13.49)
2011-12	30.74	26.44	26.99	(3.75)
2012-13	63.52	30.11	37.39	(26.13)
2013-14	43.53	38.97	38.74	(4.79)
जोड़	200.30	151.07	145.40	(54.90)

लेखापरीक्षा ने देखा कि :

- 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान सभी वर्षों में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों पर वास्तविक व्यय बी.ई. से कम था, इतनी व्यापक विभिन्नताओं के कारण अभिलेख पर नहीं थे।
- 2011-12 और 2012-13 में वास्तविक व्यय क्रमशः आर.ई. से 2 और 24 प्रतिशत तक अधिक था। तथापि, उसी वर्ष के आर.ई. के ऊपर 2012-13 के वास्तविक व्यय के आधिकार्य को बी.ई. में विविध कमी (53 प्रतिशत) को बताया गया था।

ओआइएल ने उत्तर दिया (अप्रैल 2015) कि यह अनुसंधान एवं विकास द्वारा नई प्रौद्योगिकी को विकसित और प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास कर रहा था। विभिन्न वर्षों में समीक्षा के तहत नियोजित अनुसंधान एवं विकास गतिविधियाँ बजटीय राशि के प्रति कम व्यय/लागत के साथ पूरी की गई हैं। वर्ष 2012-13 के लिए उच्च बी.ई. मुख्य रूप से 2012-13 (₹ 39.85 करोड़) के लिए 12वीं पाँच वर्ष योजना प्रक्षेपण के अनुसार गुवाहाटी में ऊर्जा अध्ययन के लिए उत्कृष्ण केंद्र (सीओईईएस) के लिए प्रस्तावित भवन की नियोजित निर्माण गतिविधि के कारण थी। तथापि वर्ष के दौरान सीओईईएस के निर्माण पर कोई व्यय नहीं किया गया था क्योंकि इसका परिचालन किराये के भवन से किया जा रहा था। इसलिए नियोजित गतिविधि की समीक्षा के करने के बाद आरई महत्वपूर्ण रूप से कम हो गई थी।

ओआईएल का उत्तर सीओईईएस को स्थापित करने के लिए निधि की गैर - उपयोगिता पर ध्यान केन्द्रित करता है। तथ्य यह रह जात है कि ओआईएल अनुसंधान एवं विकास पर नियोजित व्यय नहीं कर सका और जैसा कि पैरा 3.4 में उल्लेख किया गया है हाईड्रोकार्बन के अन्वेषण के लिए नई प्रौद्योगिकी प्राप्त की गई, हालांकि ओआईएल ने राजस्थान में कुएँ पूनम - 1 में उच्चतम लसीले भारी तेल की खोज (जुलाई 2012) की, यह उनके साथ अप्रेक्षित प्रौद्योगिकी की अनुपस्थिति के कारण कुएँ से उत्पादन करने में असफल रहा।

हाईड्रोकार्बन विजन 2025 में अन्य बातों के साथ - साथ प्रौद्योगिकीय प्रगति और प्रयोज्यता के साथ गति को बनाए रखने के लिए और वैश्विक अन्वेषण और उत्पादन उद्योग में प्रौद्योगिकी में सबसे आगे होने के लिए 2025 तक भारतीय तलछटी घाटों का 100 प्रतिशत अन्वेषण कवरेज शामिल था।

7.2 अन्वेषण में मानव संसाधन (एच.आर.) का उपयोग

ओआईएल में अन्वेषण प्रयास भूभौतिकी, भूवैज्ञानिक एवं जलाशय और ड्रिलिंग सेवाओं के कार्यकारी और गैर - कार्यकारी स्टाफ के बने हुए समर्पित अन्वेषण समूह द्वारा किया जाता है। 31 मार्च 2014 को, 7746 के कुल श्रमबल में से अन्वेषण समूह के लिए श्रमबल 1368 था, जो कुल श्रमबल के 17.66 प्रतिशत का द्योतक था।

अन्वेषण समूह में भूभौतिकी, भूवैज्ञानिक एवं जलाशय और ड्रिलिंग विभाग शामिल हैं जो कि ओआईएल के अन्वेषण गतिविधियों में मुख्य भूमिका अदा करते हैं। अन्वेषण गतिविधियों में इसकी महत्ता के बावजूद इन विभागों में श्रम - बल की कमी थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि :

- 2009-10 से 2013-14 के दौरान, भूभौतिकी विभाग में, वास्तविक कामगार 1992 से 1996 की अवधि के दौरान ठेका श्रमिक के नियमितिकरण के कारण 97 से 124 प्रतिशत तक संस्वीकृत पदों से अधिक थे।
- उसी अवधि के दौरान भूभौतिकी एवं जलाशय (जी एवं आर) विभाग में कार्यकारी में कमी 28 से 37 प्रतिशत के बीच थी।
- ड्रिलिंग विभाग में कार्यकारी कमी वर्ष दर वर्ष बढ़ती गई। यह 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान 16 से 25 प्रतिशत थी।
- 31 मार्च 2014 को, रिगमैन और टॉपमैन संवर्ग में, 233 और 108 की संस्वीकृत क्षमता के प्रति केवल क्रमशः 100 और 70 कर्मचारी थे।
- 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान, ओआईएल ने कार्यकारी संवर्ग में 391 व्यक्ति और गैर - कार्यकारी संवर्ग में 1081 व्यक्ति भर्ती करने की योजना बनाई जिसके विरुद्ध कार्यकारी संवर्ग के तहत केवल 340 व्यक्ति और गैर - कार्यकारी

संवर्ग में 597 व्यक्तियों को भर्ती किया गया था। श्रम बल की कमी अब भी निरन्तर बनी हुई थी (दिसम्बर 2014)। इसे उल्लेख करना उपयुक्त है कि तकनीकी श्रम बल की कमी को संबोधित करने के लिए ओआईएल अपने निजी रिंगों को परिचालित करने के लिए नियमित रूप से मानव प्रबंधन संविदा कर रही थी।

- 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान, जी एवं आर और भूभौतिकी विभाग में मुख्य संघर्षण हुआ जैसा कि संघर्षण के 36 मामलों में से 10 कार्यकारी (28 प्रतिशत) जी एवं आर विभाग से थे और 7 कार्यकारी (19 प्रतिशत) भूभौतिकी विभाग से थे।

संघर्षण की अधिकतम संख्या बी एवं सी संवर्ग में पाई गई थी।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार करते हुए, ओआईएल ने उत्तर दिया (अप्रैल 2015) कि संस्वीकृत क्षमता पुरानी थी और पहले से ही समीक्षा के अन्तर्गत थी जैसाकि विभिन्न विभागों में कामगारों की आवश्यकता पिछले कुछ वर्षों से बदल रही थी। पहले कभी जब इस संस्वीकृती की समीक्षा की गई थी, तब श्रम बल आवंटन मामले का, समीक्षा किए गए संस्वीकृत पदों के पुनः आवंटन द्वारा समाधान किया जा सकता था। यद्यपि, ओआईएल बाहर से भर्ती कर रहा था और भर्ती प्रक्रिया को शीघ्र करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे थे ताकि श्रम बल की कमी को पूरा किया जाए, यह भी अनुभव किया गया कि भर्ती प्रक्रिया में स्थानीय की भर्ती के लिए विभिन्न स्थानीय संगठनों द्वारा उत्पन्न की गई कठिनाइयों और माँगोंके कारण यथेष्ट समय लिया गया। भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए आवश्यक समय को घटाने के लिए प्रयास किए गए थे।

ओआईएल ने आगे बताया कि इसने अपनी अन्वेषण गतिविधियों की जिसमें विभिन्न तकनीकी समूहों द्वारा उत्पादन एवं अन्य सम्बद्ध सेवाएं शामिल हैं जहाँ पर श्रम बल को इसकी परिचालन आवश्यकता के अनुसार नियोजित किया गया था। अन्वेषण आवश्यकता पर निर्भर करते हुए गैर - कार्यकारी श्रम - बल का निर्धारण किया गया था और आवश्यकता को इसके - वर्तमान कर्मचारियों के माध्यम से बाहरी भर्ती के माध्यम से भी पूरा किया गया था।

ओआईएल का उत्तर लेखापरीक्षा टिप्पणी की स्वीकृति को दर्शाता है। लेखापरीक्षा को सचेतन रूप से ओआईएल द्वारा अपनाई गई कोई मानव संसाधन नीति नहीं मिली।

एक्जिट कान्फ्रेस में एमओपीएनजी/ओआईएल ने कहा (जुलाई 2015) कि उन्होंने कतिपय कार्यात्मक समूहों को सुदृढ़ करने के लिए श्रमबल की समीक्षा और पुनर्नियोजन प्रारंभ कर दिया था और भर्ती द्वारा श्रमबल को पूरा करने के प्रयास भी आरंभ कर दिए थे।

7.3 आंतरिक नियंत्रण का निरीक्षण

ओआईएल के पास एक महा प्रबंधक की अध्यक्षता वाला एक आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग है जो बाद में निदेशक (वित्त) को रिपोर्ट करता है। 2009-10 से 2013 -14 की अवधि के दौरान, जीएम (आईए) का पर रिक्त रहा और आईए विभाग ने सीधे रूप से निदेशक (वित्त) को सूचित किया। आईए विभाग ने नियमित कार्यालय नोएडा एवं पंजीकृत कार्यालय दुलियाजन से संचालन किया। आईए ने नियमित कार्यालय (नोएडा), पंजीकृत कार्यालय, (दुलियाजन), परियोजना कार्यालय(उत्तर पूर्वी सीमांत, राजस्थान और काकीनाडा) एवं संयुक्त उघम ब्लॉक (घरेलु एवं विदेश) के सभी विभागों की या तो अपने निजी अन्यथा विभिन्न चार्टड एकाउटेंट (सीए) फर्मों को आउटसोर्स करके लेखापरीक्षा की।

लेखापरीक्षा ने देखा की:

- आदर्शतः आईए विभाग का कार्यचालन स्वतंत्र होना चाहिए और सीधे रूप से सीएमडी को रिपोर्ट करना चाहिए, किंतु इसके विपरीत, ओआईएल का आईए विभाग निदेशक (वित्त) को रिपोर्ट कर रहा था। आईए नियमपुस्तिका के अनुसार, आईए विभाग का अध्यक्ष कार्यकारी निदेशक (ईडी) होना चाहिए जिसकी सहायता दो जी एम द्वारा की जानी है। तथापि, 2009-10 से 2013-14 की सम्पूर्ण अवधि के दौरान ईडी और जीएम के पद रिक्त रहे। जीएम (आईए) ने केवल जुलाई 2014 से पदभार ग्रहण किया। 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान, केवल तीन से पाँच कार्यकारी आईए विभाग में पदस्थ किए गए थे। परिणामस्वरूप आईए कार्य विभिन्न सीए फर्मों को आउटसोर्स करके किया गया था। आई विभाग ने तकनीकी विंग से किसी भी प्रतिनिधि के बिना केवल वित्त विभाग से व्यक्तियों को शामिल किया।
- आईए कार्यों की आउटसोर्सिंग के मामले में, ओआईएल ने अपने परिचालन क्षेत्रों में तकनीकी मुद्दों की समीक्षा के लिए अपने लेखापरीक्षा दल में अपस्ट्रीम तेल कम्पनियों में जान रखने वाले तकनीकी व्यक्तियों को शामिल करने के लिए पंचाटपत्र में कोई शर्त शामिल नहीं की थी। इसके अतिरिक्त, आईए कार्यों को करने के लिए सीए फर्मों द्वारा कार्यरत लेखापरीक्षा दल के संगठन के सत्यापन के लिए कोई प्रणाली स्थापित नहीं थी।
- आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों को 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान मूल्यांकन के लिए निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था। ओआईएल के पास अप्रैल 2012 तक आंतरिक लेखापरीक्षा नियमपुस्तिका नहीं थी। आईए नियमपुस्तिका के अनुसार, आईए विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रयासों का कोई द्विगुणीकरण नहीं हुआ है अगले छह महीनों के लिए उनकी योजनाओं पर चर्चा करने हेतु कम से कम छह महीने में एक बार सीएजी लेखापरीक्षकों और सांविधिक लेखापरीक्षकों से मिलना चाहिए। इसे तथापि अभी

व्यवस्थित किया जाना था। आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों का अनुपालन समयबद्ध तरीके में संबंधित विभागों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था।

इस प्रकार आंतरिक लेखापरीक्षा जो कि आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण भाग है अपर्याप्त रहा और उसे सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। संविधिक लेखापरीक्षकों ने भी सदस्यों को अपनी रिपोर्ट (मई 2014) में भी बताया कि क्षेत्र का क्वरेज और आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की निगरानी को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

ओआईएल ने उत्तर दिया (अप्रैल 2015) कि आंतरिक लेखापरीक्षा और तकनीकी लेखापरीक्षा विभाग कम्पनी में बहुत पहले से विद्यमान थे और लेखापरीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित वार्षिक लेखापरीक्षा कार्यक्रम के अनुसार की जा रही थी। विभाग की कार्यपद्धति आवधिक रूप से लेखापरीक्षा समिति द्वारा मार्गदर्शित थी। लेखापरीक्षा विभाग और इसके कार्यों के मार्गदर्शन के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा नियमपुस्तिका को विवेकी माना गया था। तदनुसार लेखापरीक्षा नियमपुस्तिका को बनाया गया जो कि अप्रैल 2012 के महीने में लागू हुई थी। लेखापरीक्षा समिति ने अगस्त 2014 में आयोजित अपनी बैठक में संकल्प किया कि आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग को एक अच्छे नियमित अभिसूचित शासन के भाग के रूप से सीएमडी को सूचित करना था। तदनुसार, इसके बाद से आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग सीएमडी को सूचित कर रहा था।

ओआईएल ने लेखापरीक्षा तर्क को स्वीकार कर लिया है।

एन्जिट कान्फ्रेंस में एमओ पीएनजी/ओआईएल ने बताया (जुलाई 2015) कि लेखापरीक्षा में बताई गई कमियों के आधार पर सुधारात्मक कार्रवाई पहले से ही कर ली गई थी और आईए अब सीधे रूप से सीएमडी को सूचित कर रहा था।

7.4 निर्णय लेने में बोर्ड का शामिल होना

कम्पनी के निष्पादन के समग्र पर्यवेक्षण के लिए निदेशक मंडल (बीआडी) उत्तरदायी है और कम्पनी को इसकी गतिविधियों के बारे में सलाह देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। निर्णय लेने में बीआडी के शामिल होने में निम्नलिखित कमियों को लेखापरीक्षा में देखा गया था:

- ओआईएल ने 2012-17 की अवधि के लिए ₹ 19,003.02 करोड़ की राशि की एमओपीएनजी को एक पूँजीगत आउटले योजना प्रस्तुत की (सितम्बर 2011)। योजना को बीआडी के समक्ष उनके विचार और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया था।
- एमओपीएनजी की आवश्यकता के अनुसार, ओआईएल ने एमओपीएनजी को आगे संचारण के लिए अपनी तिमाही निष्पादन रिपोर्ट (क्यूपीआर) तैयार की। तथापि उसे नियमित आधार पर उनके अनुमोदन के लिए बीआडी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया

गया था चूंकि 2013-14 को समाप्त पिछले पांच वर्षों के दौरान बनाई गई 20 क्यूपीआर में से केवल 10 क्यूपरीआर को बीओडी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। आंतिम दो वर्षों के दौरान (अर्थात् 2012-13 और 2013-14) प्रत्येक वर्ष में केवल 1 क्यूपीआर बीओडी के समक्ष प्रस्तुत की गई थी।

- केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशानिर्देशों के अनुसार (परिपत्र सं. 15/5/06 दिनांक 9 मई 2006), नामांकन आधार पर दी गई संविदा को उनकी समीक्षा और कार्योत्तर पुनरीक्षा के लिए बीओडी के ध्यान में लाया जाना आवश्यक है। लेखापरीक्षा समिति को भी ऐसी नामांकन संविदा की कम से कम दस प्रतिशत की जाँच करना आवश्यक है।

बोर्ड के कार्यवृत्त की संवीक्षा से पता चला कि 2009 - 10 से 2013-14 की अवधि के दौरान दैनिक तौर पर नामांकन आधार के अन्तर्गत दी गई संविदा की केवल एक सूची बीओडी के समक्ष तिमाही आधार पर उनके मुल्यांकन के लिए प्रस्तुत की गई थी जो कि बीओडी द्वारा देखी गई। तथापि नामांकन आधार पर दिए गए ठेके पर बीओडी द्वारा कोई कार्योत्तर संवीक्षा और पुनरीक्षा नहीं की गई थी। आगे इस तथ्य के पक्ष में अभिलेख पर कुछ नहीं था कि लेखापरीक्षा समिति ने सीवीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार नामांकन आधार पर दिए गए ठेके की कम से कम 10 प्रतिशत की जाँच की।

इसके अतिरिक्त स्थानीय प्रबंधन समिति (एलएमसी) बैठक के कार्यवृत्त की संवीक्षा से पता चला कि यद्यपि रिगों को आड़े पर लेने के लिए ठेकों⁴⁶ को अन्तिम रूप देते समय एक बार एलएमसी का कार्यवृत्त बनाया नहीं गया था, इसका निर्णय कार्यान्वयन किया गया था।

ओआईएल ने उत्तर दिया (अप्रैल 2015) कि अहमदाबाद में 10 मार्च 2012 को सामरिक बैठक का आयोजन किया गया था जिसमें सीएमडी की अध्यक्षता के तहत ओआईएल के निदेशक द्वारा भाग लिया गया था, जहाँ पर सामरिक योजना की विस्तार से चर्चा की गई थी। यह एक तथ्य था कि इसे बीओडी में नहीं रखा था। तथापि कथित बैठक के अभिलिखित कार्यवृत्त के आधार पर कार्यान्वयन किया गया था और इसे सभी संबंधित को परिचालित किया गया था।

ओआईएल की पूँजी परियोजना की चर्चा एमओपीएनजी को प्रस्तुत करने से पहले कार्यात्मक निदेशकों के साथ विस्तार से की गई थी और वार्षिक योजना और गैर - योजना बजट बनाते समय इसे ध्यान में रखा गया। वार्षिक योजना और गैर - योजना बजट को बोर्ड के समक्ष इसे अनुमोदन के लिए रखा गया।

तिमाही निष्पादन रिपोर्ट की एमओपीएनजी को प्रस्तुत करने से पूर्व कार्यात्मक निदेशकों के स्तर तक चर्चा की गई थी। तथापि, बोर्ड को प्रत्येक बोर्ड बैठक में कच्चे तेल, गैस, एलपीजी

⁴⁶ सं जारी/जीएल/डीआरएलजी/259/10

एवं अन्य उत्पादों के उत्पादन के बारे में सूचित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, सीएमडी ने बोर्ड की अपने संप्रेषण में ड्रिलिंग, उत्पादन, पूँजी व्यय (भारत और विदेशी) और सीएसआर पहले जैसे क्षेत्रों को कवर करते हुए को उल्लेख करके, मुख्य निष्पादन के बारे में सूचित किया। बीओडी ने तिमाही परिणामों का अनुमोदन करते हुए कम्पनी के निष्पादन की तिमाही आधार पर भी समीक्षा की। इसलिए ओआईएल के बीओडी को कम्पनी के निष्पादन के बारे में उचित प्रकार से सूचित किया गया था।

सीवीसी दिशानिर्देशों और बोर्ड के निर्णयों के अनुसार, नामांकन आधार पर दिए गए ठेको के बारे में सूचना बोर्ड की बैठकों में नियमित रूप से प्रस्तुत की जा रही है। बोर्ड द्वारा इस संबंध में कोई भी प्रश्न/स्पष्टीकरण यदि कोई है, जब भी आवश्यक हो का तदनुसार उपयुक्त रूप से संबंधित विभागों द्वारा समाधान/उत्तर दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग नामांकन आधार पर दिए गए ठेकों सहित सभी प्रकार के ठेकों की जाँच करता है। नियमित आधार पर निर्णित नमूनों के आधार पर इसमें से उद्घूत हुई महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को लेखापरीक्षा समिति को प्रस्तुत किया जाता है।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि ओआईएल बीओडी को केवल सांख्यिकीय सूचना सूचित करता है एवं 2009 - 10 से 2013-14 की अवधि के दौरान बोर्ड के कार्यवृत्तों से कोई चर्चा या विश्लेषण पता लगाने योग्य नहीं था।

7.5 ठेका नियमपुस्तिका में कमियाँ

ठेका जीवन चक्र प्रबंधन परिचालन एवं वित्तीय निष्पादन को उच्चतम सीमा तक पहुँचाने और संगठन के जोखिम को कम करने के लिए ठेका सृजन कार्यान्वयन और विश्लेषण के व्यवस्थित ढंग से और दक्षता पूर्वक प्रबंधन करने की एक प्रक्रिया है। ओआईएल की ठेका नियमपुस्तक में यह कहते हुए सामयिक ठेका देने के महत्व को समावेशित किया गया कि इंडेन्टिंग विभाग वह समय दर्शाएगा जब तक ठेके दे दिए जाएँगे, ठेका एवं इंडेन्टिंग विभाग ठेका देने के कार्यक्रम सारणी पर खरीद माँग की तारीख से प्रारम्भ होकर ठेका देने की तारीख तक चर्चा एवं सहमत होंगे।

लेखापरीक्षा ने ओआईएल की ठेका नियमपुस्तिका और प्राप्ति के ठेकों के प्रबंधन और रिंगों के चार्टर भाड़े पर लेने की समीक्षा की और देखा कि:

- ठेका नियमपुस्तिका में समय पर माल एवं सेवाएँ प्राप्त करने हेतु ठेका प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के लिए समय-सीमा का उल्लेख नहीं किया गया;
- इसमें जॉब के करने के समय पर ठेके की ड्रिलिंग इकाइयों/उप - सतह ट्रूल्स/उपकरणों की क्षति या हानि के मामले में उत्तरदायित्व को नियत करने के संबंध में व्यापक

दिशानिर्देश सम्मिलित नहीं थे। परिणामस्वरूप दो ठेको⁴⁷ में, ओआईएल ने ठेकेदार की मुआवजो के रूप में ₹ 3.18 करोड़ का भुगतान किया, यद्यपि उत्तरदायित्व नियत करने के लिए गठित समिति या तो ठेकेदार के भाग पर या ओआईएल पर उत्तरदायित्व नियत करने में असफल रही।

- संबंधित विभाग द्वारा बनाए गए ठेके को देने के लिए वहाँ कोई नियत कार्यक्रम सारणी नहीं था।
- ओआईएल ने निविदा के अन्तिम रूप देने और ठेका देने के लिए कोई प्रतिमान नियत नहीं किए थे। परिणामस्वरूप ठेके को सामयिक रूप से देने के लिए कोई नियंत्रण तन्त्र स्थापित नहीं थे।
- ठेका नियमपुस्तिका को अक्टूबर 2009 से अघतन नहीं किया गया था।

उपरोक्त को देखते हुए, ओआईएल में प्रचलित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली त्रुटिपूर्ण रही।

ओआईएल ने उत्तर दिया (अप्रैल 2015) कि एमओपीएनजी की सलाह के अनुसार, इसने ओएनजीसी की नियमपुस्तिका की और ध्यान दिया और अंतर्राष्ट्रीय परामर्शदाता की मदद से इसका अघतन अपनी नियम पुस्तिका में किया। ओआईएल की नियमपुस्तिका में सम्मिलित करने के लिए सुझावित आवश्यक संशोधनों को अनुमोदित किया गया था। आवश्यक संशोधनों का समावेश करने के बाद ठेका नियमपुस्तिका वर्तमान में अन्तिम रूप देने के उन्नत चरण के अन्तर्गत है। ओआईएल ने पहले से ही एक नई प्रतिबंध नीति स्थापित की है जिसमें अन्य बातों के साथ - साथ समय सीमा विचलन की विफलता ठेकागत निबन्धन शर्तों के अनुसार माल/सेवाओं की आपूर्ति में असफलता और गैर - निष्पादन के लिए अवकाश पर आपूर्तीकार/ठेकेदार को देने को प्रावधान शामिल है।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकारते हुए ओआईएल ने कहा (अप्रैल 2015) कि ठेका देने के लिए पहले से ही कोई नियत कार्यक्रम स्थापित नहीं था जिसे अब सम्मिलित किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त ओआईएल ने निविदा को अन्तिम रूप देने के लिए एक समय - सीमा तैयार की।

एक्जिट कान्फ्रेंस में एमओपीएनजी/ओआईएल ने कहा (जुलाई 2015) कि ठेका नियमपुस्तिका संशोधन के अन्तर्गत है और सितम्बर 2015 तक अन्तिम रूप दिए जाने की प्रत्याशा है, जो कि अन्ततः निविदा प्रक्रिया अवधि को कम करेगी।

⁴⁷ सं ओआईएल/सीसीओ/डीआरएलजी/वैश्विक/187/2007 और स.जारी/जी एल/डी आर एल जी/287/12